-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2010 में थाना पैलानी क्षेत्र में व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास कारावास व 08-08 हजार रुपये जुर्माने की सजा ।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2010 में थाना पैलानी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सिंधनकला में व्यक्ति की गैर इरादन हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 01.03.2010 को थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम सिन्धनकला के रहने वाले 1-रामरुप सिंह, 2- अंगुर सिंह पुत्रगण भोला सिंह व 3- बबलू सिंह पुत्र इन्द्रराज सिंह ने गांव के ही एक व्यक्ति रामसिंह को मारपीट गम्भीर रुप से घायल कर दिया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी । इस सम्बन्ध में थाना पैलानी पर मु0अ0सं0 34/10 धारा 304/308/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री भोलानाथ सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 22.03.2010 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी कमल किशोर के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **रामरुप सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी सिन्धनकला थाना पैलानी जनपद बांदा।**
2. **अंगुर सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी सिन्धनकला थाना पैलानी जनपद बांदा।**
3. **बबलू सिंह पुत्र इन्द्रराज सिंह निवासी सिन्धनकला थाना पैलानी जनपद बांदा।**

अभियोजक
श्री सुशील तिवारी

विवेचक
उ0नि0 श्री भोलानाथ सिंह

कोर्ट मोहर्रिर
म0आ0 शिप्रा सचान

पैरोकार
मु0आ0 कमल किशोर